इकाई 1 सहभागिता से संबंधित मुद्दे

संरचना हर्षदा राठौड़

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 महिलाओं के कार्य का अभिग्रहण
1.4 महिलाओं की कार्य सहभागिता प्रस्थिति
1.5 श्रमबल और कार्यबल सहभागिता दरें
1.6 महिलाओं के श्रमबल की सहभागिता को निर्धारित करने वाले कारक
1.7 संगठित क्षेत्र की नौकरियों में महिलाएँ
1.8 असंगठित क्षेत्र की नौकरियों में महिलाएँ
1.9 विभिन्न व्यवसायों में सहभागिता
1.10 सारांश
1.11 शब्दावली
1.12 इकाई के अंत में कुछ प्रश्न
1.13 सन्दर्भ
1.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप वैतनिक कार्यों में महिलाओं की सहभागिता से संबंधित मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। वह कितना और किन किन तरीकों से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करती हैं तथा सांख्यिकीय रूप से महिलाओं को भारत के आर्थिक विकास के पायदान में किस स्थान पर रखा गया है। इकाई के आरम्भ में हम फिर से दोहराएंगे जो आप पीछे पढ़ आए हैं कि कैसे जनगणना और एनएसएसओ महिलाओं के कार्य का विवरण लेते हैं और यह भी कि कैसे कार्य को एक आर्थिक गतिविधि के तौर पर मापा जाता है और महिला कर्मकारों का सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व क्या है। इसके पश्चात महिलाओं की श्रम सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा की गई है और उसके पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की तरह महिलाओं की सहभागिता पर चर्चा है। इकाई के अंत में कुछ अनुच्छेद चुने हुए व्यवसायों एवं पेशों में महिला कार्मिकों की स्थिति पर हैं जहां वे बहुत कठिन या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रही हैं। अब हम इस इकाई के उद्देश्यों पर एक नज़र डालते हैं।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद, आप सक्षम होंगे:

- सीमाओं और प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की कार्य सहभागिता की व्याख्या करने में;
- संगठित और असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य सहभागिता पर चर्चा करने में; और
- विभिन्न व्यवसायों में महिला कर्मियों की परिस्थिति का विश्लेषण करने में।

1.3 महिलाओं के कार्य का अभिग्रहण

परम्परागत रूप से कुल श्रम-शक्ति में महिलाओं की सहभागिता एक तिहाई है। जब हम ईंधन या चारा इकट्ठा करने में लगी हुई महिलाओं या डेयरी, मुर्गीपालन या परिवार के लिए शाक वाटिका में उत्पादन में लगी महिलाओं को भी शामिल कर लेते हैं तो श्रम-शक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर) 39 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो जाता है (यह पुरुषों की सहभागिता दर 64 प्रतिशत से मात्र 13 प्रतिशत कम है)।

आर्थिक गतिविधि की परम्परागत परिभाषाएं कहेंगी कि अधिकांश भारतीय महिलाएँ गृहिणी हैं लेकिन जैसा कि परिभाषाएं और मापन के तरीके अब अधिक यथार्थ और सामयिक हो गए हैं यह परिदृश्य अधिक अच्छे से केन्द्र में आता है। 1981 की जनगणना के अनुसार, भारत में मात्र 20 प्रतिशत के लगभग महिलाएँ ही श्रमबल में थीं; जब कार्य की वृहत्तर और व्यापक परिभाषाओं और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के गहनतर सर्वेक्षण तरीकों का उपयोग किया गया तो यह प्रतिशतता बढ़कर लगभग 39 प्रतिशत हो गई। फिर भी इस आँकड़े के बारे में भी स्वीकार किया जाता है कि इसमें निर्वाह के लिए काम करने वाली महिलाओं की लाभकारी आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण भाग को छोड़ दिया गया है।

भारत की जनगणना खेती में अपने उपभोग के लिए भी उत्पादन को आर्थिक गतिविधि के तौर पर मान्यता देती है। मगर जनगणना में 'खेती' शब्द के अर्थ में केवल कुछ फसलों जैसे कि अनाज, बाजरा, गन्ना इत्यादि की खेती को शामिल किया गया है। रोपण वाली फसलों, सब्जियों, फूलों एवं अन्य फसलों को उगाने को खेती में शामिल नहीं किया गया है। यह भी कि ऐसी फसलों के घरेलू उपभोग हेतु उत्पादन को जनगणना में आर्थिक गतिविधि के तौर पर शामिल नहीं किया गया है।

बहुत से सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययनों ने महिलाओं के कार्य को अधिग्रहीत किया है और पाया है कि महिलाएँ कहां काम करती हैं। उनके कार्यों का अधिकांश हिस्सा अवैतनिक घरेलू कार्यों का होता है और इसीलिए इस पर गैर-श्रमबल गतिविधि-विशेष तौर से घरेलू कार्य के रूप में विचार किया जाता है। तर्क दिया जाता है कि यदि घरेलू कार्य को कार्य सहभागिता के संप्रत्यय में शामिल कर लिया जाए तो 5 वर्ष से अधिक उम्र की 55 प्रतिशत महिला जनसंख्या इस श्रमबल में शामिल हो जाएगी।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 'कार्य' या 'लाभप्रद गतिविधि' को वेतन, लाभ या पारिवारिक लाभ हेतु विचारणीय गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है या दूसरे शब्दों में ऐसी गतिविधि जो किसी 'तर्कसंगत उत्पाद' में कुछ मूल्यवर्धन करती हो। सामान्यतया यह एक ऐसी गतिविधि है जिससे विनिमय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। हालाँकि कृषि क्षेत्र की सभी गतिविधियां जिसमें खेतिहर उत्पादों का एक भाग या पूरा उत्पाद अपने उपभोग के लिए प्रयुक्त होता है और बिक्री के लिए नहीं जाता, उसे भी लाभप्रद गतिविधि की तरह माना जाता है। संक्षेप में कार्य को बाजार या गैर-बाजार की किसी गतिविधि की तरह परिभाषित किया गया है जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। जनगणना और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन दोनों ही घरेलू कामकाज को कार्य या लाभप्रद गतिविधि की तरह शामिल नहीं करते। इसलिए एनएसएसओ ने 32वें राउण्ड के सर्वेक्षण (1977–78) हेतु एक नया अतिरिक्त कोड (कोड 93) अपने व्यावसायिक वर्गीकरण में शामिल किया है। इस नये कोड ने सर्वेक्षण में संभव बनाया है कि वह परम्परागत 'घरेलू गतिविधियों' और दूसरी गतिविधियों जैसे कि वस्तुओं का मुफ्त संग्रहण (सब्जियों, मूलों, ईंधन, मछली, गोबर, मवेशियों को चराने इत्यादि), घर की छोटी शाक वाटिका, बगीचे

इत्यादि का रखरखाव, घरेलू उपयोग के लिए मुर्गी पालन या डेयरी, सिलाई, दर्जी के काम, बुनाई इत्यादि, पानी का संग्रहण और बच्चों को पढ़ाने में अन्तर कर सके।

'कार्य' का मापन

1951 में हुई जनगणना तक लोगों की आर्थिक गतिविधि के बारे में आँकड़े 'आय' और 'निर्भरता' जैसी अवधारणाओं पर आधारित थे। 1961 और बाद की जनगणना में कार्य के संप्रत्यय को समय या श्रमशक्ति के आधार पर मापने की अवधारणा का अनुसरण किया गया। यह दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आइएलओ) की सिफारिशों के अनुसरण में था और सामान्य तौर पर अधिकांश देशों में माना जाता था। जनसंख्या का 'कामगार' और 'गैर-कामगार' में वर्गीकरण 1961 की जनगणना में शुरू किए गए कार्य की अवधारणा पर आधारित था।

इस प्रकार, 1971 की जनगणना में, प्रत्येक व्यक्ति से पूछा गया कि उनकी 'मुख्य गतिविधि' क्या थी अर्थात् वह अपने को अधिकांश समय में किस तरह से व्यस्त रखते थे/रखती थीं। इस प्रश्न के आधार पर जनसंख्या को मुख्य गतिविधि के दो व्यापक समूहों में 'कामगार' और 'गैर-कामगार' में वर्गीकृत किया गया था। व्यापार में नियमित कार्य के मामलों में संदर्भ अवधि को सूचीकरण की तिथि से एक सप्ताह पहले की तारीख से अंगीकृत किया गया। एक पुरुष/महिला मुख्य कामगार होता/होती यदि वह ऐसे किसी नियमित कार्य में सहभागी रहा होता/रही होती या फिर संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी दिन में और उसे ही उसकी मुख्य गतिविधि मान लिया गया।

मौसमी या छोटी अवधि के कर्मकारों के मामले में किसी व्यक्ति की मुख्य गतिविधि का निर्धारण पिछले एक वर्ष के दौरान उसकी गतिविधि के आधार पर किया जाता था भले ही वह व्यक्ति सूचीकरण या आँकड़ा लेने वाले सप्ताह के दौरान आर्थिक रूप से सक्रिय न रहा हो।

1981 की जनगणना में, आर्थिक प्रश्नों को इस तरह से संविन्यस्त किया गया कि पहले तो जनसंख्या को निम्न तरीके से विभाजित कर लिया गयाः

अ) **कामगार -** जनगणना वाले वर्ष से ठीक पहले वाले वर्ष में उस व्यक्ति ने कोई भी कार्य किया हो; और

आ) **गैर-कामगार -** ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उस पिछले वर्ष में कोई भी कार्य न किया हो।

जनसंख्या को इन दो व्यापक समूहों में वर्गीकृत करके, उन लोगों को फिर से दो उप-वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया जिन्होंने कभी-कभार काम किया था।

अ) 'मुख्य कामगार' अर्थात वे लोग जो उस वर्ष के दौरान अधिकांश समय में अर्थात कम से कम छः महीने की अवधि (183 दिन) या अधिक दिनों तक आर्थिक गतिविधि में लगे हुए थे, और

आ) 'सीमांत कामगार' अर्थात वे लोग जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए तो काम किया मगर वर्ष की अधिकांश अवधि तक नहीं।

यह पता लगाने के लिए भी एक प्रयास किया गया कि जो लोग गैर-कामगार या सीमांत कामगार थे, क्या वे अब भी काम की तलाश में या काम करने के लिए उपलब्ध थे।

1991 की जनगणना के समय आर्थिक प्रश्नों को प्रतिपादित करने के दौरान, 1981 की जनगणना में प्रयुक्त अवधारणाओं और परिभाषाओं के अतिरिक्त मौसमी और नियमित आर्थिक गतिविधियों के लिए भी वही एक वर्ष की लंबी संदर्भ अवधि को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कार्य से संबंधित मुख्य प्रश्न में इन शब्दों 'खेत पर या पारिवारिक उपक्रम में गैर वेतन कार्य को भी शामिल करते हुए' को भी निगमित करना अंगीकृत किया गया। इसके पीछे यह विचार था कि पारिवारिक उपक्रम या पारिवारिक खेत में महिलाओं और बच्चों द्वारा किए गए गैर वेतन योगदान को भी अभिग्रहीत किया जाए।

श्रम सांख्यिकीविदों के 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संकल्प संख्या 1 के अनुसार 'आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या में किसी भी जेंडर के व्यक्ति शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में श्रम की आपूर्ति करते हों।'

इस परिभाषा के अनुसार, बाजार गतिविधियां या गैर-बाजार गतिविधियां दोनों आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं। उन गतिविधियों को बाजार गतिविधियां कहा जाता है जिनमें लोग वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन वेतन या लाभ के लिए करते हैं। गैर-बाजार गतिविधियां हैं:

- स्वयं के उपभोग के लिए प्राथमिक माल-असबाब का उत्पादन करना।
- स्वयं के उपभोग के लिए प्राथमिक वस्तुओं को प्रसंस्कृत करना।
- अपने लिए अचल संपत्तियों का उत्पादन करना।

एनएसएसओ ने 'कार्य' या 'लाभप्रद गतिविधि' को ऐसी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया है जो वेतन, लाभ या पारिवारिक लाभ के लिए किया जाता है या दूसरे शब्दों में ऐसी गतिविधि जो 'राष्ट्रीय उत्पाद' में कुछ योग करे।

एनएसएसओ ने रोजगार और बेरोजगारी को मापने के लिए तीन अलग-अलग उपागमों को अंगीकृत किया है। ये तीन उपागम हैं:

- 'प्रचलित स्थिति' उपागम, जिसमें सर्वेक्षण वाली तिथि से 365 दिन पहले तक को सन्दर्भ अवधि के रूप में लिया जाता है;
- 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' उपागम, जिसमें सर्वेक्षण वाली तिथि से सात दिन पहले तक की सन्दर्भ अवधि को लिया जाता है; और
- 'वर्तमान दैनिक स्थिति' उपागम, जिसमें सर्वेक्षण तिथि से पहले के सातों दिन को अलग-अलग सन्दर्भ अवधि के रूप में लिया जाता है।

दृढ़ता से कहा जाए तो यह उपागम मानव-दिनों को वर्गीकृत करने का प्रयास करता है न कि व्यक्तियों को।

उपरोक्त उपागमों में से 'प्रचलित स्थिति उपागम' के आधार पर रोजगार और बेरोजगार को मापना ही वह तरीका है जिसकी मोटे तौर पर जनगणना के वर्गीकरण से तुलना कर सकते हैं। 'प्रचलित स्थिति उपागम' में सन्दर्भ अवधि एक वर्ष की है। इस उपागम में, उस गतिविधि को, जिसमें व्यक्ति ने सर्वेक्षण वाली तिथि से पहले के 365 दिनों की अवधि में से अपेक्षाकृत लम्बी अवधि गुजारी होती है, व्यक्ति की प्रमुख स्थिति के तौर पर माना जाता है। इस तरह से, यदि वह व्यक्ति संदर्भ अवधि के 365 दिनों में अधिकतर किसी एक या अधिक कार्य गतिविधि में लगा रहता है तो व्यक्ति की मुख्य 'प्रचलित स्थिति' को कार्यरत या नियोजित मान लिया जाता है। यदि पुरुष या महिला उस निश्चित सन्दर्भ अवधि के

दौरान अपेक्षाकृत अधिकतर दिनों में काम की तलाश में रहे या काम करने के लिए उपलब्ध रहे तो उसे 'काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध' व्यक्ति या 'बेरोजगार' व्यक्ति माना जाता है। यदि कोई पुरुष या महिला अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक भी किसी एक या अधिक गैर-लाभप्रद गतिविधि में लगा रहे/लगी रहे तब भी उसे 'श्रमबल में शामिल नहीं' माना जाता है।

आने वाले अनुभाग में आप उन परिप्रेक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में महिलाओं की कार्य सहभागिता को प्रभावित करते हैं।

1.4 महिलाओं की कार्य सहभागिता प्रस्थिति

विश्व बैंक द्वारा संकलित किए गए विकास के संकेतकों (1994) के अनुसार विकसित देशों में प्रत्येक 100 पुरुषों पर 38 महिलाओं के अनुपात से उलट भारत में प्रत्येक 100 पुरुष श्रम बलों (आयु 15-65) पर मात्र 25 महिला श्रम बल हैं। उच्च दर और जनसंख्या में छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिक अनुपात (18 प्रतिशत) के कारण, भारत की जनसंख्या का मात्र 57.8 प्रतिशत ही आर्थिक रूप से सक्रिय 15–59 वर्ष के आयुवर्ग में आता है। इसमें भी आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या में से वास्तविक श्रम शक्ति मात्र 56.5 प्रतिशत है। जबकि श्रम शक्ति में आर्थिक रूप से सक्रिय समूह में पुरुषों में से 78 प्रतिशत हैं जबकि मात्र 33 प्रतिशत महिलाओं को ही श्रम शक्ति समझा जाता है।

महिलाएँ भारतीय श्रम बाजार के एक बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से को संघटित करती हैं। किसी भी बाजार के श्रमबल से तात्पर्य जनसंख्या के उस भाग से होता है जिसे काम मिला हो या न मिला हो मगर वह कार्य करने का इच्छुक हो। बिल्कुल इसी प्रकार से श्रम शक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर) जनसंख्या के प्रति 100 लोगों पर उन लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी श्रम सेवाओं की आपूर्ति करते हैं (रस्तोगी, 2004)।

तालिका 1.1: श्रम शक्ति सहभागिता दर

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण चक्र	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1987-88	54.9	33.1	53.4	16.2
1993-94	56.1	33.0	54.3	16.5
1999-2000	54.0	30.2	54.2	14.7

स्रोतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के विभिन्न चक्र

उपरोक्त तालिका एलएफपीआर के बारे में उन सूचनाओं को बताती है जो 'प्रचलित स्थिति' पद से दी गई हैं जिसमें एलएफआर की प्रमुख और अनुषंगी स्थिति शामिल है अर्थात सन्दर्भ अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों ने नियमित तौर पर कुछ समय के लिए काम किया और वे भी जो उस दौरान काम की तलाश में थे या फिर काम करने के लिए उपलब्ध थे। तालिका यह भी दिखलाती है कि 1987–88 से लेकर 1999–2000 की अवधि तक, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों की एलएफपीआर महिलाओं की दर से काफी ज्यादा रही है। परन्तु 1993–94 से लेकर 1999–2000 तक की अवधि में सभी कोटियों में एलएफपीआर की दर में गिरावट आई है। हालाँकि उसी अवधि के दौरान महिलाओं के एलएफपीआर में

गिरावट पुरुषों के दर की अपेक्षा अधिक रही है। शहरी पुरुषों के लिए एलएफपीआर 1993–94 से 1999–2000 की अवधि में लगभग स्थिर रही है। लेकिन जहां तक शहरी महिलाओं के एलएफपीआर का संबंध है, अध्ययन अवधि के दौरान उसमें तेज गिरावट आई है। उपरोक्त तालिका से प्रकट सूचनाओं के आधार पर दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :

- महिलाओं का एलएफपीआर शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी हमेशा पुरुषों से कम रहा है और उसमें गिरावट की प्रवृत्ति रही है, और
- ग्रामीण महिला श्रमबल शहरी महिला श्रमबल की अपेक्षा अधिक सक्रियता से श्रम बाजार में सहभागिता की है।

1.5 श्रमबल और कार्यबल सहभागिता दरें

यहां हम शहरी और ग्रामीण महिलाओं के एलएफपीआर के संबंध में स्थितियों का और आगे विश्लेषण करेंगे।

महिला सहभागिता : ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता की प्रवृत्ति, जिसकी चर्चा हिमांशु (2011) और अब्राहम (2013) द्वारा की जा चुकी है, में 2004–05 में मामूली वृद्धि के बाद तेज गिरावट देखी गई है। शहरी महिला सहभागिता में भी 2004–05 में वृद्धि हुई थी, 2009–10 में गिरावट आई और 2011–12 में बहुत मामूली तौर पर वृद्धि हुई परन्तु 2004–05 वाले स्तर से नीचे ही रही। सामान्य तौर पर श्रमबल में महिला सहभागिता कम रही है और कम हो रही है। श्रम बल में महिलाओं की सहभागिता में इस गिरावट, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, को **'अ-नारीकरण'** (de-feminisation) का नाम दिया गया है (अब्राहम, 2013)।

महिला सहभागिता की कम दर ग्रामीण महिला कामगारों की निरपेक्ष संख्या की कमी में झलकती है (इकाई के अंत में संलग्नक तालिका को देखें)। शहरी महिला कामगारों के मामले में 2004–05 और 2011–12 के बीच वृद्धि 2004–05 और 2009–10 में अभिलिखित वृद्धि से अधिक रही है (मुख्यतः 2009–10 और 2011–12 के बीच महिला कामगारों की संख्या में ऊँची वृद्धि के कारण)।

हालाँकि वृद्धि फिर भी 1999–2000 और 2004–05 में अभिलिखित स्तर से कम थी।

कृषि में लगे हुए कुल कामगारों के अनुपात में ग्रामीण महिला कामगारों की संख्या में 1999–2000 से गिरावट होती रही, परन्तु यह गिरावट 2004–05 और 2009–10 के बीच अधिक तीक्ष्ण थी और 2011–12 तक जारी रही (इकाई के अंत में संलग्नक तालिका 2 देखिए)। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में महिला कर्मकारों के अनुपात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। इसके पीछे ग्रामीण भारत में महिलाओं की बहुत कम संख्या में कार्य करने की प्रवृत्ति उत्तरदायी है। अंतिम दशक में या ऐसे भी कुल कर्मकारों के अनुपात में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में शहरी महिला कर्मकारों की संख्या में वृद्धि हुई परन्तु यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमबल छोड़ने वाली महिलाओं की संख्या के सामने बहुत ही मामूली है। (इकाई के अंत में संलग्नक तालिका 3 देखिए)। ग्रामीण महिला स्व-रोजगार कोटि में आंकड़ा 1999–2000 में 11 प्रतिशत से थोड़ा-सा गिरकर 2011–12 में 9 प्रतिशत रह गया (2004–05 को छोड़कर जब यह 12 प्रतिशत था)। इस पूरी अवधि के दौरान अनियत मजदूरी पर रखी गई ग्रामीण महिलाओं के अनुपात में गिरावट होती रही है (तालिका 4)। इसके पीछे भी वही कारण हैं कि काम में महिला सहभागिता में सामान्य गिरावट की प्रवृत्ति रही है। शहरी क्षेत्रों में हालाँकि नियमित मजदूरी पर महिला कार्मिकों के अनुपात में अत्यल्प वृद्धि हुई है।

बॉक्स सं. 1.1

जनगणना 2011 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की कार्यबल सहभागिता दर पुरुषों की सहभागिता दर 53.26 प्रतिशत की तुलना में 25.51 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता दर पुरुषों के 53.03 प्रतिशत की तुलना में 30.02 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्र में यह पुरुषों के 53.76 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के लिए 15.44 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (68वें चक्र) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कार्मिक जनसंख्या अनुपात 24.8 प्रतिशत था। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे अधिक कार्मिक जनसंख्या अनुपात हिमाचल प्रदेश के लिए 52.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक सिक्किम में 27.3 प्रतिशत था।

अनियत मजदूरी कार्य के भिन्न-भिन्न प्रकार के आंकड़े दिखलाते हैं कि पुरुष मजदूरों का अनुपात 1999–2000 और 2009–10 के बीच मामूली रूप से बढ़ा था और फिर 2011–12 में उस स्तर से भी नीचे गिर गया जो 1999–2000 में था (इकाई के अंत में तालिका 4 देखें)।

प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे हुए पुरुष कर्मकारों का अनुपात 1999–2000 और 2004–05 के बीच उल्लेखनीय बदलाव के साथ अंतिम दशक में काफी नीचे चला गया (इकाई के अंत में संलग्न तालिका 2)। ठीक उसी अवधि के दौरान द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे पुरुष कर्मकारों के अनुपात में बढ़ोत्तरी हुई, जो लगातार बढ़ती रही। तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों के अनुपात में भी वृद्धि हुई, परन्तु यह बदलाव कृषि से द्वितीयक क्षेत्र में हुए बदलाव से अधिक उत्तरोत्तर हुआ।

1.6 महिलाओं के श्रमबल की सहभागिता को निर्धारित करने वाले कारक

महिला सहभागिता का परिमाण प्राथमिक रूप से निम्न बातों पर निर्भर करता है:

- समाज में महिलाओं की प्रस्थिति पर।
- जिस सीमा तक उनकी गतिशीलता को अनुमति मिली है, उस सीमा पर।
- उनकी सहभागिता को आवश्यक बनाने वाली आर्थिक अनिवार्यता पर।
- उपयुक्त नौकरी/कार्य की उपलब्धता पर।
- महिलाओं की ओर से इन अवसरों का लाभ उठाने की इच्छा पर।

बॉक्स सं. 1.2

महिलाओं के श्रमबल की सहभागिता दर को निर्धारित करने वाले कारक

1) आर्थिक विकास का स्तर
2) विकास का तरीका
3) उपलब्ध अवसंरचना
4) महिलाओं के रोजगार से संबंधित सरकारी नीति
5) महिलाओं के रोजगार से संबंधित कानून
6) उपलब्ध कार्यों के प्रकार

7) परिवार की संरचना
8) स्त्रियों पर पुरुषों के प्रभुत्व वाली सांस्कृतिक परम्पराएं
9) महिलाओं की आर्थिक भूमिका और जिम्मेदारियों से संबंधित सांस्कृतिक परम्पराएं
10) मातृत्व स्तर और बच्चों के पालन पोषण को प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक परम्पराएं
11) बच्चों की देखभाल करने वाली सुविधाओं की उपलब्धता
12) घरेलू कार्यों की प्रकृति और उसकी आवश्यकता के लिए सांस्कृतिक अपेक्षाएं
13) महिलाओं के संपत्ति अधिकार
14) महिलाओं का शैक्षणिक स्तर
15) विवाह के समय महिलाओं की उम्र और विवाह से पूर्व कार्यानुभव पाने के अवसर
16) प्रवास व्यवहार
17) तकनीकी तक महिलाओं की पहुंच

महिलाओं में श्रमबल दर को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही जटिल हैं और उन्हें सबसे कम समझा गया है। पिछले अनुभागों में हम लोगों ने देखा कि महिलाओं में श्रमबल दर पुरुषों में श्रमबल दर की अपेक्षा अधिक घटी है और यह कमी मुख्यतः द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में आयी है जहां आर्थिक गतिविधियां घर की बजाय कारखाने या कार्यालय की ओर स्थानान्तरित हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की सहभागिता को खेतिहर और घरेलू उद्यम के कार्यों द्वारा सुगम बनाया गया है जहां अधिकांशतः अवैतनिक पारिवारिक कामगार की तरह काम करती हुईं वे अपनी काम की गतिविधियों को घरेलू कार्यों के साथ संयुक्त कर सकें। इसलिए महिलाओं में श्रमबल सहभागिता दर के भविष्य के मार्ग को निर्धारित करते समय मस्तिष्क में यह बात बनाए रखनी होगी कि इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाली लगभग आधी शताब्दी तक महिलाओं के लिए खेती और घरेलू उद्योग ही महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के रूप में बना रहने वाला है।

आगे पढ़ने से पहले अपनी प्रगति के मूल्यांकन हेतु निम्न अभ्यास को कीजिए।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए

1) कार्यबल सहभागिता और श्रमबल सहभागिता को परिभाषित कीजिए।

2) महिलाओं के श्रमबल की सहभागिता को निर्धारित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए।

आगामी अनुभागों में भी कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता पर अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे।

आर्थिक स्थिति और महिला कार्य सहभागिता दर

वर्तमान समय में महिलाएँ विश्व की खाद्य आपूर्ति के 50 प्रतिशत का उत्पादन करती हैं जो कुल कार्यबल का 60 प्रतिशत होता है और आधिकारिक श्रमबल के 30 प्रतिशत तक योगदान करती हैं। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र के आंकलनों के अनुसार, वे केवल विश्व की आय का 10 प्रतिशत प्राप्त करती हैं और दुनिया की संपत्तियों के 1 प्रतिशत से भी कम भाग पर उनका अधिकार है।

तालिका 1.2 : भारत में कार्य सहभागिता दर (प्रतिशत में)

कामगारों की कोटि	वर्ष	कुल योग	पुरुष	महिला
मुख्य कामगार*	19911981	34.12(33.4)	51(51.6)	16(14.00)
सीमांत कामगार**	19911981	3.3(3.3)	0.6(1.3)	6.2(5.8)
गैर-कामगार***	19911981	38(36.7)	52(52.6)	22.3(19.7)
	महायोग	100.0	100.0	100.0

स्रोतः भारत की जनगणनाः 1981 और 1991

*मुख्य कामगार उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो वर्ष भर में आधे से अधिक दिनों (न्यूनतम 183 दिन) के लिए आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में लगा रहे।

**सीमांत कामगार उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो वर्ष भर में 183 दिनों से कम समय के लिए ऐसी उत्पादक गतिविधियों में लगे रहते हैं।

***गैर-कामगार वे लोग हैं जिन्होंने पूरे वर्ष भर कोई काम नहीं किया है।

उपरोक्त तालिका 1.2 से अवलोकन किया जा सकता है कि मुख्य कामगार में पुरुषों की प्रतिशतता महिला कामगारों की प्रतिशतता की अपेक्षा तीन गुना अधिक है। हालाँकि 1991 और 2001 की जनगणनाओं की तुलना से प्रकट होता है कि महिला मुख्य कामगारों की संख्या में 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी को उल्लिखित करता है। 2001 की जनगणना के अनुसार सीमांत कामगारों के मामले में महिला सहभागिता दर पुरुषों की सहभागिता दर का लगभग 6 गुना अधिक है।

2011 की जनगणना के अनुसार मुख्य और सीमांत महिला कामगारों का 41.1 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं, 24.0 प्रतिशत किसान हैं, 5.7 प्रतिशत घरेलू उद्योग के कामगार हैं और 29.2 प्रतिशत दूसरे कार्यों में संलग्न हैं।

1.7 संगठित क्षेत्र की नौकरियों में महिलाएँ

महिलाओं के कुल रोजगार में से संगठित क्षेत्र में रोजगार केवल 6 प्रतिशत है। यद्यपि प्रतिशतता में कम हैं परन्तु वे महिला श्रमबल के सबसे शक्तिशाली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं क्योंकि वे राज्य द्वारा उनके हितों की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों की लाभार्थी हैं। महिलाओं के कार्य, मजदूरी और कार्य की दशाओं के संबंध में इस क्षेत्र में रक्षात्मक श्रम कानून लागू होते हैं। वे अपने कौशलों में सुधार, आत्मविकास और तरक्की के अवसरों की हकदार होती हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की तुलना में काम की अच्छी दशाएं और मजदूरी मिलती है। नीचे की तालिका सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के साथ ही संगठित क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों को मिले कुल रोजगार का आंकड़ा दिया गया है।

तालिका 1.3: संगठित क्षेत्र में रोजगार - सार्वजनिक/निजी (लाख व्यक्ति)

सार्वजनिक क्षेत्र	**1991**	**1995**	**2000**	**2001**	**2005**
पुरुष	167.1	168.8	164.57	162.79	150.86
स्त्री	23.47	25.65	28.57	28.59	29.21
योग	190.57	194.45	193.14	191.38	180.87
निजी क्षेत्र					
पुरुष	62.42	64.31	65.8	65.62	63.57
स्त्री	14.34	16.28	20.66	20.9	20.95
योग	76.76	80.59	86.46	86.52	84.52
संगठित क्षेत्र में रोजगार					
पुरुष	229.52	232.21	230.37	228.4	214.42
स्त्री	37.81	42.24	49.23	49.49	50.16
योग	267.33	275.25	279.60	277.89	264.58

स्रोतः श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं व्यापार महानिदेशक

1991 में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता दर मात्र 16.71 प्रतिशत थी। दो दशक के बाद यह बढ़कर 162.79 प्रतिशत तक चली गयी। इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता 16.34 प्रतिशत से बढ़कर 20.09 प्रतिशत हो गयी। 1991 से 2001 के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के संयुक्त रोजगार में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति रही और यह 37.81 प्रतिशत से बढ़कर 49.49 प्रतिशत हो गयी।

2011 में कुल 20.5 प्रतिशत महिलाएँ संगठित क्षेत्र में रोजगार पाए हुए थीं जिनमें से 18.1 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में थीं और 24.3 प्रतिशत निजी क्षेत्र में।

2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं के रोजगार की दृष्टि से संगठित क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का पहला स्थान था जिसमें 9.7 लाख महिलाओं को नौकरी मिली हुई थी। द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः 'सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं' (8.5 लाख महिला कर्मचारी) और 'कृषि, वानिकी, मत्स्ययन और आखेट' (4.3 लाख महिला कर्मचारी) क्षेत्र हैं।

निरक्षर महिलाओं के मामले में संगठित क्षेत्र केवल निम्न वेतन वाले काम ही प्रस्तावित कर सकता है उसमें भी काम की लंबी अवधि, बेकार कार्य दशाएं, व्यावसायिक जोखिम और नौकरी की असुरक्षा हमेशा बनी रहती है। हालाँकि बढ़ते हुए निजी क्षेत्र के संगठनों के चलते, जो बड़ी संख्या में महिला कर्मियों को नियुक्त कर रहे हैं, शिक्षित, प्रतिभाशाली और कुशल महिलाओं के पास चुनौतीपूर्ण कॅरियर और उच्च वेतन वाली नौकरियां हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में, भारतीय रेलवे, दूरसंचार, ऊर्जा क्षेत्र, बैंकिंग, पर्यटन इत्यादि के विस्तृत होते जा रहे संजाल ने उच्च प्रतिशतता में महिला कर्मियों को नौकरी में रखा है। महिलाएँ इन संगठनों की कार्य संस्कृति और कार्मिक वातावरण में खुद को सुखी पाती हैं।

आइए, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में स्थितियों का पुनरीक्षण करते हैं।

1.8 असंगठित क्षेत्र की नौकरियों में महिलाएँ

भारत में कामगार महिलाओं की कुल संख्या का एक बड़ा अनुपात असंगठित क्षेत्र में मुख्य तौर से कृषि, पशुधन, वानिकी इत्यादि क्षेत्रों में नियुक्त है। इन कामगार महिलाओं को कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे खेत तैयार करने, बीजों का श्रेणीकरण, बीजवपन, निराई, रोपण, सिंचाई, गाहने (थ्रेशिंग), ओसाई, फसलों के भण्डारण, पशुओं को चारा डालने, दुधारू पशुओं की देखभाल और मुर्गीपालन इत्यादि में काम करते हुए देखा जा सकता है। कृषि में जिन कार्यों में महिलाओं को लगाया जाता है उनकी प्रकृति को देखते हुए कहा जा सकता है कि उससे उन्हें विशिष्ट प्रकार के स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में तो धान का पौधरोपण प्राथमिक रूप से महिला मजदूरों द्वारा ही किया जाता है। इससे कई बीमारियों के लिए महिलाओं की ग्राह्यता बढ़ जाती है जैसे कि आंत्र संबंधी और परजीवी संक्रमण, आर्थराइटिस, ऱ्यूमेटिक ज्वाइंट्स, जोंक चिपकना इत्यादि।

साथ ही यह भी देखा गया है कि असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की सहभागिता में वृद्धि होती जा रही है। जीवन में स्थिरता या प्रवास न कर पाने की समस्या महिलाओं के श्रम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है जिससे उन्हें निम्न भुगतान वाले, अनियमित और असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार के केवल स्थानीय केन्द्रों पर काम करना पड़ता है। अनभिज्ञता, परम्परा से बंधा दृष्टिकोण, कौशलों की कमी, रोजगार की मौसमी प्रकृति, जटिल प्रकार के भारी श्रम वाले शारीरिक कार्य, जॉब सुरक्षा की कमी, काम के लंबे घंटे, कार्यस्थलों पर न्यूनतम सुविधाओं की भी कमी, बुरा बर्ताव और बंधुआ मजदूरी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। उड़ीसा के जनजातीय जिलों में, निर्वनीकरण, भूमि पर अत्यधिक दबाव, सिंचाई की कमी और बार-बार पड़ने वाले सूखे की स्थितियों के चलते जनजातीय महिलाएँ अपने गांवों, अपने जिले और अपने राज्य से भी बाहर निर्माण परियोजनाओं, ईंट के भट्ठों और चाय-बागानों में आवधिक काम के लिए दो से छः महीने तक की अवधि के लिए प्रवास पर जाती रही हैं।

1.9 विभिन्न व्यवसायों में सहभागिता

इस अनुभाग में हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता का पुनरीक्षण करेंगे।

नकदी फसलों की खेतीः कई नकदी फसलों की खेती में महिलाओं की भूमिका दुनिया भर में बहुत अच्छे से जानी जाती है। हम एक मामला केसर की खेती का लेते हैं। भारत में इसकी खेती श्रम-गहन खेती है और सभी स्तरों पर महिलाओं की संलग्नता बहुत अधिक है यद्यपि परम्परागत भारतीय खेतिहर तरीकों में पुनर्नवीकरण ऊर्जा, प्रदूषण मुक्त तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और इसकी उत्तरजीविता अधिक होती है।

इसी प्रकार से भारत में अन्य नकदी फसलों की खेती में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है क्योंकि मशीनीकरण बहुत व्यापक और प्रचलित नहीं है। यह बात आसाम, पश्चिम बंगाल और नीलगिरि के चाय बागानों और केरल तथा कर्नाटक के मसालों की खेती के मामलों में बिल्कुल सत्य है। अधिक संधारणीयता और पर्यावरण अनुकूल वृद्धि के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हर स्तर पर महिलाओं को काम में लगाया जाए।

भारत के साथ-साथ तृतीय विश्व के देशों में अनेक प्रकार की घासों को बुनकर चटाइयाँ तैयार की जाती हैं। भारत के तमिलनाडु में कोरा घास के प्रयोग से केवल और केवल महिलाओं द्वारा बुनाई करके चटाइयाँ बनती हैं। बिल्कुल इसी तरह की परम्परा अनेक दूसरे स्थानों जैसे कि उड़ीसा में बालासोर, कटक और फुलबनी, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में भी मिलती है। क्वाइर या नारियल की जटाओं से चटाइयाँ की बुनाई और रस्सियों की बटाई अनन्य रूप से महिलाओं द्वारा ही की जाती है।

कृषि-संबंधी व्यवसायः कृषि संबंधी अनुसंधानों में महिला किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बारे में बहुत ही कम ध्यान दिया है और नई तकनीकों के अभिकल्प में तथा निर्णय प्रक्रिया और श्रम आवंटन में महिलाओं के प्रभाव संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रायः अवहेलना कर दी जाती है। उच्च तकनीकों ने भी महिलाओं की भूमिका को नज़रअंदाज किया है।

वस्त्र उद्योग मेंः यदि कपड़ों का उत्पादन विकेन्द्रित क्षेत्र में किया जाए तो यह महिलाओं के लिए बहुत उत्तम आर्थिक कार्यक्रम हो सकता है। यह केवल आधुनिकीकरण, पूँजीकरण और कुछ हाथों में धन के संग्रह का ही परिणाम है जिसने हम लोगों के लिए समस्या खड़ी की है जिससे कपड़ा उद्योग में हमारी संधारणीयता को धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा है।

एक स्वयंसेवी संगठन, सुंदरबन खादी एवं ग्राम औद्योगिक समाज (एसकेवीआईएस), जो केवल महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है, की अपनी विशिष्टता है। इन उत्साही महिलाओं ने बटिक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग और फैब्रिक प्रिंटिंग को अंगीकृत किया और उनकी गुणवत्ता में इस तरह सुधार किया कि उनके कपड़े वैश्विक बाजार में लोकप्रिय हो गए हैं। यह संगठन 950 महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है और इसके सदस्यों के साथ-साथ सोसाइटी के कल्याण हेतु व्यापार से होने वाले लाभ को फिर से व्यापार को बढ़ाने में लगा दिया जाता है।

कुटीर उद्योगः यदि हम अपने अनेकानेक उद्योगों की पृष्ठभूमियों का गहराई से अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि अधिकांश या कई उद्योग अपने मूल रूप में अनन्य रूप से महिलाओं के हाथ में रहे थे जिन्हें बाद में मशीनीकरण, आटोमेशन इत्यादि के चलते पुरुषों ने उनसे अपने हाथ ले लिया। इन उद्योगों में कई, उदाहरण के लिए, खाद्य उत्पाद इत्यादि, आज भी किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं पर उनकी निर्भरता

के लिए जाने जाते हैं। जब पुरुषों ने इस प्रक्रिया को उद्योग के क्रियान्वयन के लिए अंगीकृत किया तो वे अनेकानेक गैर-उत्पादक निवेशों जैसे कि परामर्श या तकनीकी स्थानांतरण के लिए गए तो महिलाओं को शामिल नहीं किया। यह भी कि महिलाओं ने चूंकि परम्परागत तरीकों को अंगीकृत किया इसलिए उससे निकलने वाले रद्दी का इस्तेमाल कहीं और भी हुआ।

अचार उद्योग उत्तर प्रदेश में और आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर बहुत अच्छे से स्थापित हैं। बंगाल और बांग्लादेश कई मीठे अचारों जैसे कि मुरब्बा, कासुन्दी इत्यादि के लिए जाने जाते थे। इन क्षेत्रों में यह घरेलू उद्योग था और औरतें जानती थीं कि स्थानीय और मौसमी उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए तमाम सब्जियों से अनेकानेक प्रकार के अचार कैसे बनाए जा सकते थे। यह एक ऐसा उद्योग है जो महिलाओं के लिए शत-प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित कर सकता है।

दालों से महिलाएँ परम्परागत रूप से अनेकों वस्तुएं बनाया करती थीं जो आज भी लोकप्रिय हैं। दालों को पीसकर उनके पाउडर की लोई को बेलकर बनाया जाने वाला 'पापड़' अत्यंत ही लोकप्रिय है। इसकी तकनीकी बहुत साधारण है और महिलाओं को उसके बारे में पता है। श्री महिला गृह उद्योग 'लिज्जत पापड़' महिलाओं द्वारा संचालित एक स्वयंसेवी संगठन है। वे बहुत ही मामूली तकनीकी से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को रोजगार पर रखकर उच्च गुणवत्ता के पापड़ का उत्पादन करती हैं।

विज्ञानः यद्यपि उन्नीसवी शताब्दी के मध्य से ही महिलाएँ औपचारिक कार्यस्थलों में रिकार्ड संख्या में प्रवेश कर रही हैं, वे उसी समान दर से विज्ञान में होने वाले कामों में प्रवेश नहीं कर सकी हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी जहां महिलाएँ अमेरिका के कुल श्रमबल में 46 प्रतिशत हिस्सा रखती हैं, गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होने वाले कार्यों में उनकी सहभागिता केवल 25 प्रतिशत है। देखा जाए तो रास्ते के दौरान, सबसे पहले दिए जाने वाले प्रशिक्षण और श्रम बाजार में उनके प्रवेश के बीच, कहीं न कहीं जेंडर भेदभाव घटित होता है। विडम्बना यह है कि विज्ञान से संबंधित कार्य श्रम बाजार में सर्वाधिक वेतनदायी और उच्च पदस्थिति वाले कार्य माने जाते हैं।

श्रमबल के इस क्षेत्र के अंदर महिलाएँ केवल निचली पदस्थितियों पर काबिज हैं, और अपने पुरुष सहकर्मी की अपेक्षा कमतर वेतन पाती हैं और बेरोजगार होने या अल्परोजगारयुक्त होने अर्थात अपनी क्षमता से कम क्षमता वाले कार्यों को करने के लिए उनकी अपेक्षा अधिक अभिशप्त होती हैं। जब पुरुष और महिला वैज्ञानिकों की योग्यताओं पर विचार किया जाता है इनमें से कई भिन्नताएं कायम रहती हैं। उद्योगों की तरह से महिलाओं की भर्ती करने और उन्हें कायम रखने की पहलों और प्रस्तावों के बावजूद बाजार के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए महिला वैज्ञानिक, पुरुष वैज्ञानिकों की अपेक्षा कम पसन्द की जाती हैं।

मास मीडिया और संचार (कम्यूनिकेशन): भारत में संचार क्षेत्र में रोजगार के लंबे और प्रभावशाली इतिहास के बावजूद, इसने अपने केवल कुछ एकाध दरवाजे महिलाओं के लिए खोलने को तैयार हुआ है। पत्रकारिता, विशेष रूप से अखबारी पत्रकारिता, प्रमुखता से एक पुरुष व्यवसाय रहा है लेकिन रेडियो, टेलीविजन और विज्ञापनों ने शिक्षित महिलाओं के लिए कार्यक्षेत्र के अधिक अवसर प्रदान किए हैं। बहुत देर से, सार्वजनिक संबंधों में, डाक्यूमेंटरी फिल्मों (फिल्म पत्रकारिता का एक रूप) और मार्केटिंग एवं वितरण एजेंसियों में महिलाओं ने पूर्णकालिक या अंशकालिक पेशेवर कामगारों की तरह प्रवेश किया है।

संचार के क्षेत्र में कॅरियर शहरी केन्द्रों और वास्तव में तो मुख्यतः बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में केन्द्रित हैं। अधिकांशत प्रमुख समाचार पत्रों में एक पृष्ठ महिलाओं के लिए या बच्चों के

लिए होता है और सामान्यतया ये पृष्ठ स्टॉफ के महिला सदस्यों द्वारा निर्मित या संपादित किए जाते हैं। महिलाओं के लिए पृष्ठ हेतु योगदान तो लगभग पूरी तौर पर अनन्य रूप से महिलाओं द्वारा होता है।

रेडियो और टेलीविज़न महिला पेशेवरों के लिए अधिक अच्छी सुविधाओं का प्रस्ताव करते हैं। आरंभ से ही महिलाओं को उद्घोषकों, समाचार वाचकों, फीचर या डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं और यहां तक कि इंजीनियरों के पदों पर भर्ती किया जाता रहा है। रेडियो स्टेशन के सूचित कार्यक्रमों के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो अनन्य रूप से महिलाओं के क्षेत्र के लिए होते हैं। विशिष्ट श्रोताओं जैसे कि ग्रामीण महिलाओं और कामगारों के परिवारों के लिए अभिकल्पित कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रत्येक स्टेशन पर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक घंटा होता है।

रेडियो प्रोग्रामिंग कैडरों और अनौपचारिक कलाकारों की कोटि में बहुसंख्या में महिलाएँ नियोजित हैं जिसमें स्क्रिप्ट-लेखक, फीचर-लेखक, समाचार वाचक और नाटकों एवं डॉक्यूमेंट्री में भाग लेने वाली महिलाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी महिला फ्रीलांसरों के लिए भी कुछ अवसर उपलब्ध हुए हैं जो रेडियो के कार्यक्रमों के लिए कुछ योगदान करने को इच्छुक हैं। कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने साक्षात्कार विधा और चर्चा तकनीकों में विशिष्टताएं हासिल की और निजी टी. वी. और रेडियो चैनलों पर बहुत लोकप्रिय हुई हैं।

टेलीविजन, शिक्षित महिलाओं के लिए सबसे विस्तृत और सर्वाधिक विविधता वाले अवसर प्रस्तुत करता है। टेलीविजन के मामले में समाचार वाचकों, उद्घोषकों, कार्यक्रम निर्माताओं, सूत्रधारों और कलाकारों में अधिसंख्यक महिलाएँ हैं।

विज्ञापनः विज्ञापन में महिलाओं ने कुछ बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया है। इस व्यवसाय के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उन्हें पुरुषों से भी अधिक तरजीह दी जाती है। रचनात्मक विज्ञापन मीडिया में, कॉपी राइटिंग और डिज़ायनिंग के लिए वास्तव में महिलाओं को वरीयता दी जाती है। महिलाओं में भी जो अधिक ऊर्जावान और सक्रिय व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं उन्होंने प्रबंधक या अधिशासी पदों तक अपनी पहुंच बनाई है। जटिल प्रश्नावलियों से तैयार सर्वेक्षणों के लिए बुद्धिमान और मनभावन महिलाएँ और लड़कियां किसी मूल्यवान रत्न से कम नहीं हैं। सामान्य तौर पर माना जाता है कि महिला साक्षात्कारकर्ताओं के सम्मुख प्रत्यर्थी अधिक स्पष्टवादी और सहयोग करने वाली भूमिका में आ जाता है। व्यावसायिक रेडियो, जिसे देश के सभी भागों में बहुत तेजी से प्रसारित किया जा रहा है, भी महिला कर्मियों के लिए अवसर प्रदान करता है।

1.10 सारांश

भारत में बाजार आधारित गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता एशिया के अन्य प्रमुख भागों की तुलना में काफी कम है। देश के भीतर भी व्यापक क्षेत्रीय विषमता व्याप्त है। श्रम बाजार में महिलाओं की अधीनता की स्थिति इसलिए नहीं है कि वे आवश्यक रूप से तुच्छ उत्पादों के उत्पादनों तक सीमित हैं या सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित हैं। श्रम बाजार की प्रमुख अक्षमता यह है कि उनके कार्यों की पहचान निम्न तकनीकी क्रियाकलापों से की जाती रही है। इसका अर्थ होता है, एक तरफ तो वे जो कार्य करती हैं उसकी उत्पादकता निम्न बनी रहती है और दूसरी तरफ उन्हें अर्थव्यवस्था में कार्यक्षम उत्तरदायी भूमिकाओं से वंचित बनाए रखा जाता है। असंगठित क्षेत्रों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में महिलाएँ अनेकानेक प्रकार के कार्य निष्पादित कर रही हैं और उनकी नियोजनीयता तथा संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है।

1.11 शब्दावली

कार्य : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार, कार्य या लाभप्रद गतिविधि वह गतिविधि है जिसे वेतन, लाभ या पारिवारिक लाभ के लिए उपयुक्त माना जाए या दूसरे शब्दों में ऐसी गतिविधि जो 'राष्ट्रीय उत्पाद' में कुछ मूल्यवर्धन करे।

कामगार : ऐसे लोग जिन्होंने जनगणना से पहले वाले वर्ष में किसी न किसी समय कुछ काम किया हो।

गैर-कामगार : ऐसे लोग जिन्होंने जनगणना से पहले वाले वर्ष भर में कोई भी काम न किया हो।

प्रमुख कामगार : ऐसे लोग जिन्होंने एक ही आर्थिक गतिविधि में वर्ष के अधिकांश हिस्से में काम किया हो अर्थात छः महीने की अवधि (183 दिन) तक या अधिक समय के लिए।

सीमांत कामगार : ऐसे लोग जिन्होंने पिछले एक वर्ष में कुछ दिनों के लिए काम किया हो परन्तु उसके अधिकांश हिस्से में नहीं किया हो।

श्रमबल : किसी देश का श्रम बल कार्यक्षम उम्र के उन सभी लोगों से मिलकर बनता है जो सहभागी कामगार होते हैं, अर्थात सक्रिय रूप से नियोजित लोग या काम की तलाश में लगे लोग।

श्रमबल सहभागिता दर : श्रमबल और उनके संगियों की कुल संख्या (समान आयुवर्ग की कुल राष्ट्रीय जनसंख्या) के मध्य अनुपात को श्रमबल सहभागिता दर कहा जाता है।

संगठित क्षेत्र : वह क्षेत्र जो पंजीकृत है, सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करता है और जिसमें कर्मचारी संघ एवं नियोक्ता संघ होता है, संगठित क्षेत्र कहलाता है।

असंगठित क्षेत्र : वह क्षेत्र जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता और मानकीकृत की गई कार्य-प्रणाली का पालन नहीं करता और बिल्कुल केन्द्रीकृत होता है।

अनियत श्रमिक : ऐसा कामगार या श्रमिक जिसे नियोक्ता द्वारा जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता है और केवल उतने समय का भुगतान किया जाता है जितने समय वह काम करता है।

1.12 इकाई के अंत में कुछ प्रश्न

1) भारत में महिला कार्यबल सहभागिता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। विभिन्न तथ्यों की व्याख्या हेतु उदाहरण दीजिए।

2) संगठित और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा कीजिए।

3) परम्परागत और गैर-परम्परागत व्यवसायों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए।

1.13 सन्दर्भ

Banerjee, A. and Sen, R.K. (2000). Women and Economic Development, New Delhi: Deep and Deep Publications Pvt. Ltd.

Census of India, 1981, 1991, 2001

Desai, Neera and Thakkar, Usha (2001). Women in Indian Society, New Delhi: National Book Trust.

Ghosh G.K. (1995). Environment and Women Development: Lessons from Third World, New Delhi: Ashish Publishing House.

ILO (1978): Women's Participation in the Economic Activity of Asian Countries, ILO: Geneva

Mahapatra, Subhasini (2006). Working Women: Problems and Prospects, New Delhi: Rajat Publications.

Government of India, MHRD. (1987). Shram Shakti: Report of the National Commission of Self-Employed Women and Women Workers in the Informal Sector. New Delhi: Ministry of Human Resource Development.

NSSO Rounds.

OXFORD (2008). Economic Survey 2007-2008, New Delhi Government of India.

Rustagi, Preet (2004). Women and Development in South Asia, South Asian Journal, Vol 4, April-June.

Sen, Bimla (2008). Role of Women in India Society, Panatikala, Better Books.

1.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

OXFORD (2008): Economic Survey 2007-2008, New Delhi Government of India.

Rustagi, Preet (2004). Women and Development in South Asia, South Asian Journal, Vol 4, April-June.

तालिका 1: कामगारों की संख्या की तुलना (मिलियन में, 1999-2000 से 2011-12, यूपीएस)

कोटियां/सर्वेक्षण वर्ष	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012	1999–2000 और 2004–05 के बीच औसत वार्षिक परिवर्तन	2004–05 और 2009–10 के बीच औसत वार्षिक परिवर्तन	2009–10 और 2011–12 के बीच औसत वार्षिक परिवर्तन	2004–05 और 2011–12 के बीच औसत वार्षिक परिवर्तन
ग्रामीण पुरुष	199.53	213.6	226.75	230.97	2.81	2.63	2.11	2.48
ग्रामीण महिला	83.06	91.5	80.92	72.13	1.69	–2.12	–4.4	–2.77
शहरी पुरुष	78.65	90.76	102.54	108.28	2.42	2.36	2.87	2.50
शहरी महिला	16.52	20.68	20.97	23.26	0.83	0.06	1.15	0.37
कुल कामगार	377.76	416.54	431.18	434.64				
रोजगार प्राप्त लोगों में प्रति वर्ष निवल परिवर्तन					7.76	2.93	1.73	2.59

स्रोतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण, विभिन्न चक्र; आँकड़ों की गणना शॉ (2013) में दी गई अनुसार।

संलग्नक

तालिका 2: कुल कामगारों की प्रतिशतता में क्षेत्रवार कामगारों की संख्या (यूपीएस)

कोटियां/सर्वेक्षण वर्ष	प्राथमिक				द्वितीयक				तृतीयक			
	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012
ग्रामीण पुरुष	37.91	33.15	33.11	31.69	6.73	9.99	9.95	11.43	8.56	9.53	9.56	9.93
ग्रामीण महिला	18.67	17.33	14.86	12.47	2.12	2.3	2.06	2.29	1.54	1.59	1.78	1.71
शहरी पुरुष	1.31	1.26	1.38	1.39	6.67	7.34	8.21	8.77	12.31	12.64	14.16	14.9
शहरी महिला	0.64	0.75	0.58	0.43	1.21	1.47	1.56	1.77	2.32	2.65	2.8	3.2
कुल कामगार	58.53	52.5	49.92	45.99	16.73	21.09	21.78	24.26	24.74	26.41	28.29	29.74

स्रोतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण, विभिन्न चक्र।

तालिका 3: विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों की सख्या (मिलियन में, यूपीएस)

कोटियां/सर्वेक्षण वर्ष	प्राथमिक				द्वितीयक				तृतीयक			
	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012
ग्रामीण पुरुष	139.26	141.73	141.88	136.42	24.71	42.72	42.65	49.22	31.44	40.72	40.96	42.74
ग्रामीण महिला	68.57	74.11	63.69	53.69	7.78	9.83	8.81	9.84	5.66	6.81	7.61	7.38
शहरी पुरुष	4.82	5.37	5.90	5.99	24.51	31.37	35.19	37.76	45.23	54.02	60.69	64.13
शहरी महिला	2.36	3.22	2.47	1.86	4.46	6.28	6.70	7.63	8.52	11.34	11.98	13.77
कुल कामगार	215.01	224.43	213.94	197.96	61.46	90.2	93.35	104.45	90.85	112.89	121.24	128.02

स्रोतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण, विभिन्न चक्र, आँकड़ों की गणना शॉ (2013) में दिए विधि अनुसार।

संलग्नक

तालिका 4: कुल कामगारों की प्रतिशतता में प्रत्येक कोटि के रोजगार (यूपीएस)

रोजगार के प्रकार / सर्वेक्षण वर्ष	स्व–रोजगार				नियमित वेतनभोगी				अनियत श्रमिक			
	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012	1999–2000	2004–2005	2009–2010	2011–2012
ग्रामीण पुरुष	28.99	28.86	28.35	28.99	4.80	4.58	4.68	5.42	19.40	19.24	20.09	18.66
ग्रामीण महिला	11.18	12.03	9.62	8.95	0.87	0.97	1.04	1.24	10.22	8.22	7.26	6.28
शहरी पुरुष	8.40	9.46	9.81	10.49	8.55	8.71	10.13	10.95	3.42	3.06	4.03	3.62
शहरी महिला	1.61	1.97	1.74	1.99	1.61	2.04	2.20	2.64	0.97	0.86	1.04	0.78
कुल कामगार	50.17	52.31	49.53	50.42	15.83	16.30	18.04	20.05	34.00	31.38	32.43	29.34

स्रोतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण, विभिन्न चक्र।